डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2001—आश्विन 11, शक 1923

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 2288/ऊ. वि./2001.—विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (क्र. 1998 का संख्यक 14) की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विद्युत नियामक आयोग का गठन करती है जिसका नाम ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग'' है. यह दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

1. आयोग, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का संख्यक 14) की धारा 17 की उपधारा (6) तथा (7) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए चेयरपर्सन को सम्मिलित करते हुए तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा.

2. आयोग, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का संख्यक 14) में उसे प्रदत्त शक्तियों तथा कृत्यों तथा ऐसे कृत्यों का, जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं, निर्वहन करेगा.

3. आयोग का मुख्यालय रायपुर में होगा.

4. आयोग उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा. जिसकी स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति को अधिग्रहण करने, धारण करने तथा व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा मुद्रा होगी और उक्त नाम से यह वाद चला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा.

5. आयोग का चेयरपर्सन उक्त आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा.

Raipur, the 1st October 2001

NOTIFICATION

No. 2288/ED/2001.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 (No. 14 of 1998), the State Government, hereby constitutes a Electricity Regulatory Commission to be known as "Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission". It shall come into force from 3rd Oct. 2001 in the State of Chhattisgarh.

1. The Commission shall consist of three members including the Chairperson to be appointed by the State Government in terms of provision of Section 17 (6) and (7) of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998.

2. The Commission shall discharge the powers and functions as conferred to it in the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 and any other functions the Government of Chhattisgarh as may notify from time to time.

3. The Head Office of the Commission shall be at Raipur.

4. The Commission shall be a body corporate by name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall by the said name, sue or be sued.

5. The Chairperson of the Commission shall be the Chief Executive of the said Commission.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.